

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हों/नही) यदि हों तो निरीक्षण की तारीख और किये गए प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हों। स्थल निरीक्षण दिनांक 30/05/2023 संलग्न है।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
17	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	परियोजना निर्देशक परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सागर के Online प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/155297/2022 में वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर द्वारा प्रस्ताव के Part-II में की गई अनुशंसा के आधार पर वनमंडल उत्तर सागर की परिक्षेत्र शाहगढ के वन कक्ष क्रमांक RF-480, 482, 487, 488, 489 PF-466, 492, 523, 524 की 72.7246 हे. वनभूमि तथा खसरा नं. 705, 135, 189, 137, 163, 158, 157, 257, 263 की 7.2530 हे. राजस्व भूमि कुल प्रस्तावित 79.9776 हे. वनभूमि प्रस्तावित Four Laning of Mohari to Satai Ghat in the State of Madhya Pradesh Under Bharatmala Pariyojana Economic Coridore के निर्माण हेतु उपयोगार्थ देने की अनुशंसा की जाती है। अंतिम अनुमति के समय निर्देशित शर्तों को मान्य करना होगा।

तिथि:- 07.06/2023

स्थान:- सागर

(अनिल के. सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर